न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 03/2015 (75 एल. आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00189

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र रघुवीर (मृतक)
   1/1. अजय सिंह उम्र 35 साल } पुत्रान स्व0 रामस्वरूप
   1/2. राज सिंह उम्र 28 साल }
   1/3. शीला उम्र 60 साल पत्नी स्व0 रामस्वरूप
2. भूपेन्द्र } पुत्रान हरीचरन
3. जीतेन्द्र }
4. बाबू पुत्र प्रभू
5. शिव सिंह पुत्र खैम सिंह
6. प्रताप सिंह } पुत्र पूरन सिंह
7. अशोक }
8. लखन सिंह पुत्र मूली सिंह
9. प्रताप सिंह } पुत्र किशन सिंह
10. अरूण सिंह }
11. भीम सिंह पुत्र मौहर सिंह (मृतक)
    11/1. नरोत्तम सिंह उम्र 42 साल पुत्र स्व0 भीम सिंह
    11/2. रूमाली उम्र 70 साल पत्नी स्व0 भीम सिंह
12. प्रेम सिंह }
13. लोकेन्द्र सिंह } पुत्र भगवान सिंह
14. मोहन सिंह }
15. राजेन्द्र }
16. दिगम्बर } पुत्रान बहादुर सिंह
17. राधेश्याम }
18. गोपालप्रसाद } पुत्र परसराम
19. दुर्गाप्रसाद }
20. रामशरण पुत्र चतुर्भज (मृतक)
    20/1. शरद कुमार उम्र 45 साल } पुत्र स्व0 रामशरण
    20/2. सतपाल उम्र 35 साल }
    20/3. चन्द्रवती उम्र 70 साल पत्नी स्व0 रामशरण

} जाति ठाकुर(जाट) निवासी पथैना तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21. श्याम सिंह
22. गिरधारी सिंह
23. बलराम
} पुत्रान चतुर्भुज

24. वेद सिंह
25. विश्राम सिंह
26. लक्ष्मन सिंह
} पुत्रान जोत सिंह

27. कपिलदेव
28. पुष्पराज
} पुत्रान नरेन्द्र सिंह

29. योगेन्द्र सिंह
30. देवेन्द्र सिंह
31. लोकेन्द्र सिंह
32. धर्मेन्द्र सिंह
} पुत्रान गिर्राज सिंह

33. करतार सिंह
34. यादराम सिंह
35. रघुवेन्द्र सिंह
36. जयवन्त सिंह
} पुत्रान मंगल सिंह

37. मोहन सिंह
38. बिहारी सिंह
} पुत्रान दुर्गाप्रसाद

} जाति ठाकुर(जाट) नि0 पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र भगत सिंह जाति ठाकुर निवासी पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
2. आवंटन सलाहकार समिति बयाना द्वारा अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी बयाना / भुसावर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते

.... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.03.2015 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर प्र.संख्या 02 / 15 उनवान रामस्वरूप बनाम करतार सिंह।

Web Copy Not Official

अभिभाषकगण :—

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री ओंकार नाथ शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 68 रकवा 07.13 बीघा वाके ग्राम पथैना तहसील भुसावर का आवण्टन अप्रार्थी/रैस्पो0 को, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सन् 1977 को किया गया। उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा आवण्टन आदेश की नकल प्रस्तुत नहीं करने के कारण ग्राहिता स्तर पर ही खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश भूमि रूपान्तरण खिलाफ कानून तथा तथ्यों व साक्ष्यों के विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने का कोई आदेशात्मक प्रावधान नही है बिना आवंटन आदेश की नकल के भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ अधिनियम चलने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को इस सूरत में जब आवंटन आदेश की प्रतिलिपिउ अपीलाण्ट को नहीं मिल पाई, प्रार्थना पत्र को दर्ज कर, प्रथम अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन अभिलेख तलब करना चाहिऐ था। विवादित आराजी अपीलाण्ट की खुदकाश्त व खेवट की आराजी है जो कीरत सिंह की कोठरी के नाम से जानी जाती है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार कथित आवंटन आदेश शून्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1981 पेज 320, 723, 1980 पेज 228 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी जिरह में केवल अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि अनुरूप सही बताते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट विवादित भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं करता है। बल्कि रेस्पोंडेंट के पक्ष में हुए आवंटन को विधि विरूद्ध बताता है। आवंटन के 42 वर्ष तक आवंटन आदेश की जानकारी नहीं होना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतार्किक होकर सद्भावी मान्य नहीं होता है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार एग्रीव्ड है, यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट आवंटन प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं था तो फिर अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने के लिए विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। रेस्पोंडेंट आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी पर खातेदार दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस कारण के आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति नहीं ली गई है तथा गुणावगुण पर भी कोई तार्किक व कानूनी तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं परन्तु उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी आदि पेश नहीं किये गयें हैं। यदि तर्क के लिये अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त माना भी जावें तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से माना जावेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 03.03.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official